उच्चतम न्यायालय की विधिक सहायता समिति से सहायता

1677. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति से सहायता प्राप्त करने के क्या मापदंड हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमार मंगलम्) : (क) उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति से सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड विहित किया गया है :–

I. ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी स्रोतों से आय 12,000 रु० (केवल बारह हजार रुपए) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है :

परंतु यह कि आय की यह अधिकतम सीमा, समुचित मामलों में उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष द्वारा, युक्तियुक्त सीमा के भीतर शिथिल की जा सकती है। वार्षिक आय की यह सीमा, विवाद के उन मामलों में लागू नहीं होती जिनमें एक पक्षकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विमुक्त जाति का है या वह एक महिला अथवा बालक है।

II. विधिक सहायता किसी ऐसे व्यष्टिक मामले या जनहित के मुकदमें दी जा सकती है जिसकी सिफारिश विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष करे।

III. समिति–

(i) अत्यन्त सार्वजनिक महत्व के मामले में, या

(ii) किसी परीक्षण के मामले में, जिसके निर्णय का प्रभाव, समाज के कमजोर वर्ग के अनेक अन्य व्यक्तियों पर पड़ने वाला है; या

(iii) किसी ऐसे मामले में, जो ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिक सहायता के योग्य समझा जाता है यद्यपि कि उसमें आय की पात्रता की शर्तें पूरी न होती हों,

विधिक सहायता की मंजूरी दे सकती है।

(ख) विधिक सहायता, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार, 2098 व्यक्तियों को दी गई है :–

वर्ष	फायदा प्राप्तकर्ताओं की सं०
1989 . .	692
1990 . .	689
1991 . .	717
कुल :	2098

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि किया जाना

1678. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई